BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 140 of 2025

In the matter of:

Sandeep Rathee Applicant

Versus

State of Haryana & Ors. Respondent

INDEX

Sr. No.	Particular	Page No.
1.	Report of the Joint Committee in the matter of O. A. No.140/2025; Sandeep Rathee V/s State of Haryana & Ors. in compliance to the order dated 07/04/2025 passed by Hon'ble NGT.	1-6
2.	**Annexure-1** - Copy of Hon'ble NGT order dated 07/04/2025.	7-8
3.	**Annexure-2** - Copy of attendance sheet of Joint committee of inspection dated 15/05/2025.	9
4.	**Annexure-3** - Copy of photographs of construction materials, including bricks and structural steel found scattered at the site during joint inspection dated 15/05/2025.	10-11
5.	**Annexure-4** - Copy of satellite image of the site upto 31/05/2024.	12
6.	**Annexure-5** - Copy of statement of various stakeholders in the presence of local police.	13-35

Dated: 06/08/2025
Place: Panipat.

Regional Officer,
HSPCB, Panipat.

Through

Rahul Khurana, Advocate
A-174, 2nd **Floor, Defence Colony**
New Delhi, 09811894060
rkhuranalegal@gmail.com

Report of the Joint Committee in the matter of O. A. No. 140/2025; Sandeep Singh V/s State of Haryana & Ors. in compliance to the orders of Hon'ble NGT

1.0. Background and the Orders of Hon'ble National Green Tribunal:

In the original application, the applicant has alleged illegal felling of around 50-60 neem and peepal trees from Khasra No. 221 in Village Manana, Block Samalkha, District Panipat, Haryana. The allegations of the applicant is that these trees have been cut by the respondent no. 6- Sarpanch of village Manana with ulterior motive and commercial gains for the construction of a banquet hall on that land. The applicant also alleges that timber obtained from illegally cut trees has been sold in lakhs of rupees by the respondent no. 6 along with her husband.

Hon'ble National Green Tribunal in its order dated April 7, 2025 (**Annexure-1**) observed and directed, as follows:

Para 06: *Considering the seriousness of allegation made in the OA, we also appoint a joint Committee comprising the representatives of Member Secretary, CPCB, Member Secretary of Hayana State PCB, RO, MoEF&CC, Chandigarh, the PCCF, Chandigarh, Director Veterinary Services, State of Haryana and Sub-divisional Magistrate Samalkha. The Sub-divisional Magistrate, Samalkha will act as coordinating agency in the Joint Committee. The joint Committee will visit the site, ascertain the extent of illegal felling of trees, persons responsible for same and also suggest the remedial measures. The joint Committee is directed to submits the report within eight weeks.*

2.0. Compliance of the direction of Hon'ble NGT:

2.1. Constitution of the Joint Committee:

A Joint committee consisting of following officials was constituted :

i. Shri Amit Kumar, HCS SDM Samalkha
ii. Mrs. Vijay Laxmi, IFS, DFO Panipat (Representative Principal Chief Conservator of Forests, Haryana)
iii. Dr. Narender Sharma, Scientist 'F', CPCB Regional Directorate, Chandigarh (Representative of Member Secretary, Central Pollution Control Board)
iv. Shri N.K. Dimri, Technical Officer, MoEF&CC, IRO, Chandigarh (Representative of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)
v. Shri Shivendra Singh, Scientist 'B', HSPCB, Regional Office, Panipat (Representative of Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board)

2.2. Site Visit:

The Joint committee visited the site under reference on May 15, 2025. The Joint Committee also associated the following stakeholders during the site inspection, for interaction and reaching to the conclusion.

- Mr. Sandeep Rathi, Complainant
- Sarpanch, Panches and Residents of Village Manana
- Mr. Shailesh Singh, HVS, Veterinary Doctor Samalkha
- Mr. Rajesh Kumar, Kanungo, Tehsil Samalkha
- Mr. Praveen Singh, Village Secretary, Village Panchayat Manana
- Praveen Kumar Husband of Sarpanch

The representatives of the local Police were also present during the site inspection. The attendance sheet is attached as **Annexure-2**

2.3. Findings of the Joint Committee:

1. The Joint Committee observed evidence of excavation and construction activities at the site located within the premises of the Veterinary Hospital, Village Manana, Block Samalkha, District Panipat, the area from which trees were reportedly cut, as alleged by the complainant.

2. Construction materials, including bricks and structural steel, were found scattered at the site; however, no one came forward to claim ownership of these materials. – Annexure-3.

3. Approximately 10 trees were found to be still standing within the premises of the Veterinary Hospital, Village Manana, Block Samalkha, District Panipat.

4. The joint committee tried to obtain free satellite images of the area by plotting the coordinates of the leased mining area on the Google Earth platform and accessing open-source satellite images from Airbus (EU) for the year 2018-2024. It was found that around 30 mature green trees can be seen in the satellite images available for the period upto May 31, 2024. The satellite images obtained by the Joint Committee are attached as **Annexure**-4.

5. TheJoint committee also recorded statements from various stakeholders in the presence of local police, which are reproduced below (**Annexure**-5.

   i. **Smt. Kavita, Panch ward no. 6**: I,Smt. Kavita Devi, a permanent resident of Village Manana, states that I was absent during a Gram Panchayat resolution on August 9, 2024, and have no knowledge of tree cutting in Animal Hospital Manana .

06/08/2025

ii. **Mrs. Manjeet Wife of Shri Azad Singh, Panch Ward No. 17**: I do hereby state that I have signed the resolution passed by the gram Panchayat on August 9, 2024, and agreed with building a community hall in the existing animal hospital. I know nothing about tree cutting.

iii. **Shri Anil Rathi: Son of Shri Ranjit Singh, Panch Ward 14 :** I am a permanent resident of village Manana. My signature is not on proposal dated August 9, 2024, but agreed with the community center in Animal Hospital Manana.

iv. **Mrs. Muniya Wife of Shri Dharamveer Panch** : I do hereby deny the signing at resolutions on August 9, 2024, and December 11, 2024. I know nothing about the felling of the trees.

v. **Mrs. Seema Devi, Wife of Sunil Panch Ward No. 12 :** I do hereby deny the signing at resolutions on August 9, 2024, and December 11, 2024. I know nothing about the felling of the trees.

vi. **Mrs. Babli, wife of Rakesh**, confirm that I was present when the proposal was passed by the Gram Panchayat on August 9, 2024. I consent to the construction of a community center in the animal hospital, as mentioned in point 9. I have no knowledge of tree cutting.

vii. **Mrs. Sonia, Wife of Sombir, Panch ,Ward No. 15 :** I, Sonia, wife of Sombir, declare that I signed the proposal passed by the Gram Panchayat on August 9, 2024, in my presence. I consent to the construction of the community center in the animal hospital, as mentioned in point 9. I have no information regarding tree cutting.

viii. **Statement of Truck Drivers namely Mr. Vicky and Mr. Narender:** On May 15, 2025, Mr. Narendra, son of Randhir Singh, stated that his truck, Tata 2518, was used to carry the timber in February 2025 in village Jaurasi. The drivers were Mr. Vicky and Ramesh.

ix. **Statement of Mr. Arun Jain, Contractor:** I, Arun Jain, contractor, state that in February 2025, I was instructed by Sh. Sandeep Rathi to transport tree stumps and trunks from the animal hospital to village Jaurasi. I was told to dispose off them in an empty space. I have no further knowledge.

06/08/2025

x. **Statement of Mr. Ramesh alias Kala, Son of Shri Lalchand :** I, Ramesh alias Kala, resident of village Manana, state that trees were uprooted by a JCB driver at the Animal Hospital Manana. Sarpanch husband Shri Praveen awarded me a contract to cut and chop the trees for Rs. 5000. I completed the work in three days and received Rs. 2800 as wages.

xi. **Statement of Mr. Sandeep Rathi, Resident of Village Manana:** I, Sandeep Rathi, a resident of Village Manana, hereby provide my statement regarding the events surrounding the cutting of trees at the animal hospital in our village.

On January 5 or 6, 2025, I met Arun Jåin, a contractor, in Samalkha, where I deliver milk from my cow dairy farm. Sh. Arun informed me he has undertaken construction work at the animal hospital in our village. He stated that the trees at the site were being cut by the Sarpanch. I was asked to report back to him (Arun) on the progress of the work. Upon my return to the village, I visited the animal hospital and contacted Arun to inform him that the trees had been cut also to provide the necessary machinery and vehicle for the work.

Subsequently, I came to know that the trees had been cut without following the proper procedures. I filed a complaint with the National Green Tribunal (NGT) and provided evidence, including a video recording of the incident, which shows the Sarpanch's husband, Praveen, overseeing the tree cutting. I request that an impartial investigation be conducted into this matter.

xii. **Statement of Sarpanch Gram Panchayat Manana:** I, Rekha, Sarpanch of Gram Panchayat Manana, provide my statement in response to the allegations made by the complainant Sh. Sandeep Rathi.

The trees at the animal hospital were cut by Sandeep Rathi, who is the husband of Rani Devi ,Panch. As the husband of a Panch, Sandeep Rathi has no authority to interfere in the work of the Gram Panchayat. Furthermore, no resolution was passed by the Gram Panchayat regarding the development work at the animal hospital. I deny any involvement in the cutting of trees and request for the investigation into the illegal cutting of trees at the veterinary hospital in Village Manana.

06/08/2025

6. The Joint Committee also examined various evidence, including:
   - **Revenue records:** Showing the land ownership and details of the veterinary hospital.
   - **Panchayat records**: Revealing a proposal to build a Marriage Palace on the land, but no approval for cutting trees.
   - **Testimonies:** From Mr. Sandeep Rathi and Mr. Praveen Kumar, as well as the contractor, Shri Arun Jain and other eminent citizens from the village Manana.
   - **Call records and videos:** Confirming the involvement of Mr. Sandeep Rathi and Mr. Praveen Kumar in the tree cutting.

7. As per the recent Jamabandi year 2019-20, the said area (4 Kanal 9 Marla) **Khasra number 221** is owned by the Animal Husbandry Department and there is a veterinary hospital on the spot.

8. Green trees have been cut from about 350 square yards on the spot and construction (building foundation work) was also found to be going on at the said place. Present Sarpanch's husband Mr. Praveen Kumar and complainant Mr. Sandeep Rathi also got their testimony done in their favour.

9. Gram Panchayat Manana Proceeding Register dated 09.08.2024 and proposal dated 09-08-2024 were also observed. A proposal dated 09-08-2024 has been passed by the Gram Panchayat to build a Marriage Palace on the said land. No correspondence has been made by the Panchayat regarding the approval& valuation of cutting trees from the said place and about 30 trees have been found illegally cut without approval.

10. During the investigation, the contractor of the said building, Shri Arun Jain was also called on the spot through telephone. Shri Arun Jain has stated in his oral and written statements that in January 2025, he was instructed by Shri Sandeep Rathi, the complainant and others to put the trees in a vehicle and dump them at the pond of village Jaurasi. A call record regarding these statements was found available in the phone of Shri Arun Jain, which was played by him to the members of the committee on the spot. The details of the said call record are attached herewith in a pen drive.

11. Another video was also shown by the complainant, in which Sarpanch's husband Mr. Praveen Kumar is also seen sitting on the spot during the cutting of trees.

06/08/2025

3.0 Conclusion and Suggestions for Remedial Measures:

i. Based on the inspection of the site, questioning/interaction with various stakeholders, examination of the Panchayat records and the revenue records, satellite images, the members of the Joint Committee have come to the conclusion that:

ii. ***About 30 trees were cut illegally on the land of the veterinary hospital in village Manana, in which complainant Mr. Sandeep Rathi himself was involved and Sar-panch's husband Mr. Praveen Kumar also has a role.***

iii. ***An attempt has been made by the complainant Sh. Sandeep Rathi to mislead the Hon'ble NGT.***

iv. The inspection revealed that approximately 30 trees were cut illegally from theveteri- nary hospital's land, which is owned by the Animal Husbandry Department. The inves-tigation found that Mr. Sandeep Rathi and Mr. Praveen Kumar were both involved in the illegal cutting

v. It is recommended that environmental compensation equivalent to ten times the number the trees illegally felled with the involvement of the complainant, Shri Sandeep Rathi, and the Sarpanch's husband, Shri Parveen Kumar should be imposed by the Local Ad-ministration, if approved by Hon'ble National Green Tribunal. Considering an esti- mated survival rate of 60%, the violators should be directed to plant a total of 500 trees on Panchayat land, which must be maintained by Panchayat under the supervision of the local administration.

The above factual report of the Joint Committee is submitted for the consideration of Hon'ble NGTand may kindly betaken on record. The Joint Committee shall abide by further directions of Hon'ble NGT, in the matter.

Er.Shivendra Singh,
Scientist 'B', HSPCB, RO,
Panipat

N.K. Dimri,Technical
Officer,MOEF&CC, RO,
Chandigarh

Dr. Narender Sharma,
Scientist 'F', CPCB, RD,
Chandigarh

Mrs.Vijay Laxmi,IFS,
DFO.Panipat,

Amit Kumar HCS,SDM
Samalkha

Date: 04/08/2025

Item No. 4 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 140/2025

Sandeep Rathee Applicant

Versus

State of Haryana & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 07.04.2025

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Ms. Mansi Chahal, Adv.

ORDER

1. In this Original Application (OA), the Applicant has alleged illegal felling of around 50-60 neem and peepal tress from Khasra No, 221 in village Manana, Block Samalkha, District Panipat, Haryana. The allegation of the applicant is that these trees have been cut by the Respondent No. 6-Sarpanch of village Manana with ulterior motive and commercial gains for the construction of a banquet halls on that land. The Applicant also alleges that timber obtained from illegally cut trees has been sold in lakhs of rupees by the Respondent No. 6 along with her husband.

2. Learned Counsel for the Applicant during hearing has referred to Annexure A/2 a communication dated 07.01.2025 sent by the Veterinary Surgeon, GVH Samalkha to the SHO Police Station Samalkha informing about the illegal felling of trees and making a request to register a FIR. Learned Counsel submits that no action on the said communication has been taken. She has also referred to the newspaper report Annexure A/6 containing the news of illegal felling of trees by the Sarpanch of the village.

She has pointed out the photographs collectively filed Annexure A/1 page 25 onwards to show that a large-scale illegal felling of trees has taken place.

3. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

4. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

5. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

6. Considering the seriousness of allegation made in the OA, we also appoint a joint Committee comprising the representatives of Member Secretary, CPCB, Member Secretary of Haryana State PCB, RO, MoEF&CC, Chandigarh, the PCCF, Chandigarh, Director Veterinary Services, State of Haryana and Sub-divisional Magistrate Samalkha. The Sub-divisional Magistrate, Samalkha will act as coordinating agency in the joint Committee. The joint Committee will visit the site, ascertain the extent of illegal felling of trees, persons responsible for same and also suggest the remedial measures. The joint Committee is directed to submits the report within eight weeks.

7. List on 08.08.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 7, 2025
Original Application No. 140/2025
A..

Annexure-2

मौका हाजरी रिपोर्ट बाबत पेड़ कटान बारे
मौजा मनाना दिनांक 15/05/2025

आज रोज दिनांक 15/05/2025 को उपमण्डल अधिकारी (ना०) समालखा की अध्यक्षता में D.F.O. Madam Panipat श्रीमती विजय लक्ष्मी, विकास सिंह Paluhan S.D.O. PNP, Dr. Narender Sharma Regional Director C.P.C.B. Chd. की मौका पर हाजिर रहे। निम्न हाजरी इत्यादि हस्ताक्षर करी ~~निम्न लिखित है~~

(1)	Sh N. K. Dimri	Technical Officer	MoEF&CC Chandigarh
(2)	Shivendra Singh	Scientist - B	HSPCB, Panipat
(3)	Dr. Narender Sharma	RD, CPCB, Chd	
(4)	Dr. Vijay Laxmi, IFS	DFO, Panipat	
5.)	Dr. Shailesh Singh, H.V.S.	Veterinary Surgeon	
6)	Parveen Singh GS	Gram Sachiv	
7)	Sandeep Rathee	S/o Manaram S/o [illegible] Complainant	
(8)	Rajesh Kumar OKSML	O.K.SM	
9	~~सिकंदर [illegible] मनाना~~	किशन [illegible]	
10	रोशनलाल राठी 9466364005 निवासी गाँव मनाना		
11	कृष्णा s/o श्री महेन्द्र सिंह गाँव मनाना		
12	रामनिवास/श्री कुलदीप मनाना		

(SDO (C) Samalkha)

Annexure-3: Photographs taken by the Joint Committee.

OA 140 of 2025
15.05.2025 11:43
Altitude: 196m
7X7V+9XV, Manana
NE

OA 140 of 2025
15.05.2025 11:44
NE

OA 140 of 2025
15.05.2025 11:44
Altitude: 196m
NE

Annexure-4: Satellite Images of the site.

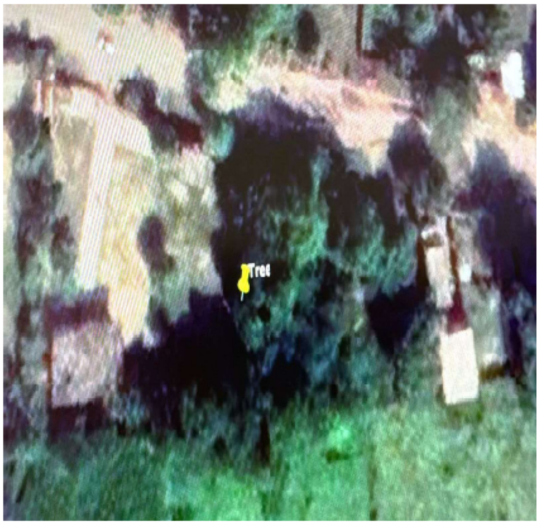	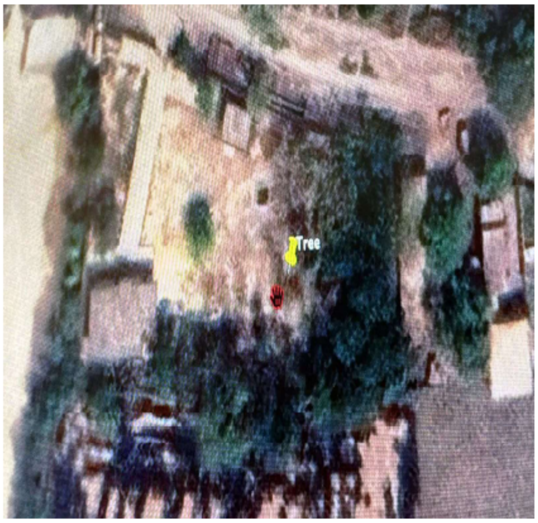
10 October 2021	**08 May 2022**
31 May 2024	

बयान संदीप राठी निवासी गांव मनाना 977 7027766601

Dairy No
Peshi/Steno/BC/DLC/MRC
Nazir/MC/OC/RTI/ALC 21/5/25
SDO (C) Samalkha

मैं संदीप राठी पुत्र श्री रामसिंह गांव मनाना का स्थाई निवासी हूँ। यह है कि मेरा अपना गाय डेयरी फार्म है। व मैं हर रोज दूध देने के लिए सुबह शाम समालखा जाता था। मैं दिनांक 05 या 06 जनवरी 2025 को शाम को समालखा गया तो वहां पर मुझे अरुण ठेकेदार मिला जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ। उसने मुझसे कहा कि आपके गांव के पशु अस्पताल में मुझे निर्माण कार्य करना है और वहाँ पर खड़े पेड़ सरपंच द्वारा नियमानुसार कटवाए जा रहे हैं एक बार आप गांव जाकर बताना कि कितना काम हो चुका है उसके कहे अनुसार मैं वापिस आते समय पशु अस्पताल रुक गया और अरुण के पास फोन करके बताया कि मैं यहीं पर हूँ पेड़ कटवा दिए गए हैं आप मशीन भेज दो व गाड़ी। उक्त मामले की शिकायत पूर्व सरपंच पौत संदीप पुत्र रमेश द्वारा पशु चिकित्सक व एस.डी.एम समालखा को दी जा चुकी थी जिस बारे मुझे कुछ मालूम नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि सरपंच व उसके पति द्वारा जो पेड़ काटे गए हैं वह नियमानुसार नहीं काटे गए हैं तो मैंने उक्त मामले की शिकायत की व NGT में केस दायर किया।

सेवा में,

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
समालखा

विषय: ग्राम पंचायत मनाना की शामलात ज़मीन

पूर्व सरपंच पति की शिकायत पर पशु चिकित्सक समालखा ने थाना समालखा में भी सरपंच के खिलाफ 07.01.2025 को शिकायत दी थी। सरपंच द्वारा दिनांक 09.08.2024 को प्रस्ताव नं० 8 के बिन्दु न 9 व दिनांक 11.12.2024 के प्रस्ताव नं० 6 के तहत लिखा है कि हिन्दुस्तान पाना में शादी समारोह की जगह कम होने के कारण पशु अस्पताल में बैंकवेट हाल का निर्माण करवाया जाए। उक्त मामले की विडियो कुछ लोगों द्वारा बना ली गई थी व उसको गाँव के whatsup group में viral भी किया गया था। उक्त विडियो में सरपंच पति प्रवीन मौके पर खड़े होकर पेड़ कटवा रहा है स्पष्ट दीख रहा है। व जिसने पेड़ काटे है वह भी बता रहा है कि उसको विकास हाल पंचायत मैम्बर ले कर आया था व विकास उस समय सरपंच पति का ड्राईवर था। मेरे द्वारा पेड़ काटने के संबन्ध में सारी विडियो जाँच कमेटी को आज 15.05.2025 को पैन ड्राईव में डाल कर दे दी गई है। आपसे निवेदन है कि उक्त मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए।

संदीप राठी
Sd/-

Sd/-
(SDO(C) Samalkha)

ब्यान किया है कि मैं रेखा ग्राम पंचायत मनाना, तह0 समालखा, जिला पानीपत की सरपंच हूँ, जो जांच जनाब महोदय के समक्ष आई है, जो पशु हस्पताल के अन्दर से पेड़ कटवाने बाबत है, यह पेड़ संदीप राठी पुत्र रामसिंह निवासी गांव मनाना ने कटवाये थे, जो रानी देवी पंच का पति है। पंच पति होने के नाते वह ग्राम पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करता रहता था, जहां से पेड़ काटे गये हैं, वहां ग्राम पंचायत द्वारा कोई निर्माण कार्य या अन्य कोई कार्य नहीं कराया गया था और ना ही कोई पशु हस्पताल में विकास कार्य कराने बाबत ग्राम पंचायत मनाना द्वारा कोई रेजुलेशन किया गया था, बल्कि रेजुलेशन नं.9 दिनांक 09.08.2024 में सिरियंल नं.9 पर बाद में संदीप राठी ने मिली भगत करके मुझे फसाने व बदनाम करने की नियत से एक लाईन लिखी गई *"पशु हस्पताल में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण"* जो बाद में लिखी गई है, जो मेरे संज्ञान में बाद में आई, बल्कि संदीप राठी की एक ऑडियो प्राप्त हुई है, जिसमें संदीप राठी ने पेड़ कटवाने व लोड कराने की बात स्वीकार की है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि पेड़ ना तो पंचायत द्वारा कटवाये गये हैं, बल्कि मुझे बदनाम व फसाने के लिए साजिश रची गई है। दोषी के खिलाफ इस संदर्भ में सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।

ब्यानकर्ता

Rekha 22/05/2025

रेखा, सरपंच ग्राम पंचायत मनाना,
तह0 समालखा, जिला पानीपत।
मो.8684810101

(SDO (C) Samalkha)

ब्यान - 68 20/05/2025

ब्यान किया कि मैं रमेश उर्फ माला
पुत्र श्री लालचन्द जाति छिम्मर (सीवर)
गाँव मनाना, तहसील रामनगर का
स्थायी निवासी हूँ। पशु-अस्पताल
मनाना में पेड़ JCB चालक द्वारा
उखाड़े गये थे तथा उखाड़े गये पेड़ों
की कटाई व टुकड़े करने का ठेका
सरपंच पति श्री कुलदीप ने 5500/- रुपये
में दिया था। जिन पेड़ों को मैंने
लगभग 3 दिन में काट दिया था तथा
मुझे मजदूरी के लगभग 2800/- ही
सरपंच पति द्वारा दिये गये थे।
इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता।
ब्यान लिखवा दिया व सुन लिया है।

L.T.I.

रमेश उर्फ माला.

(SDO (C) Lamalcha)

ब्यान हलफिया

आज दिनांक 15/05/2025 को गाँव मन्धना तहत रामायणा में NGT की हिदायतानुसार बाबत पेड़ काटने व पेड़ों के अवशेषों को ले जाने के लिए श्री नरेन्द्र S/o धर्मपाल सिंह गाँव नगला के ट्रक टाटा 2518 भरवाते वक्त मैं गाँव जौरासी के जोहड़ पर लेकर व डालकर आये थे। मेरे हाजिर श्री सिंह व रमेश थे।

निशानी नरेन्द्र
9996307178

(SDO (C Jamalpur))

बयान 15/5/25

बयान किया व्यक्ति कि मैं सोनिया w/o सोमवीर हाल पंच वार्ड नं- 15 गांव कनावा बयान करती हूँ कि दिनांक 9/8/24 को ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा मेरी मौजूदगी मे किया गया है। परन्तु बिन्दु नं. 9 पर शामिल पशु अस्पताल के सामुदायिक केन्द्र बनवाने बाबत मौजूद पंचायत की सहमति है। पेड़ काटने के बाबत मुझे कुछ नहीं पता है। बयान लिखा व सुन लिया है।

R.O.A.C

Sonia

(SDO(C) Jamalla)

<u>ब्यान</u> 15/5/25

ब्यान किया जाता है कि मैं बबली w/o राकेश हाल पंच वार्ड नं॰ 04 गाँव ममाना ब्यान करती हूं कि दिनांक 9/8/24 को ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पर मेरे हस्ताक्षर है तथा मेरी मौजूदगी में किया गया है। ~~किसी आधार~~ परन्तु बिन्दु नं॰ 9 पर राजकीय पशु अस्पताल में सामुदायिक केन्द्र बनवाने बाबत मेरी व पंचायत की सहमति है। पेड़ काटने बाबत मुझे कुछ नहीं पता है। ब्यान पढ़ व सुन लिया है।

RVAC

Babli

(SDO (C) Jamalpur)

बयान - 72/05/2025

बयान किया कि मैं सीमा देवी पत्नी श्री सुशील सैनी वार्ड नं० 12 गाँव नगाना की स्थायी निवासी हूँ। दिनांक 9/8/2024 को पारित ठहराव पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा पशु अस्पताल नगाना में सामुदायिक केन्द्र बनाने में मेरी सहमति है। परन्तु पेड़ काटने बाबत मुझे कुछ नही पता है। बयान लिख व पढ़ लिया है।

RO&C

Seema Devi

(SDO (C) Jamaula)

बयान [illegible]/05/2025

बयान किया कि मैं मुनिया पत्नी श्री धर्मवीर पंच ग्राम पंचायत मनाना की निवासी हूँ। ग्राम पंचायत मनाना द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 9/8/2024 व 11/7/2024 पर मेरे हस्ताक्षर ना है क्योंकि मैं इसमें शामिल नहीं थी। पशु-आश्रयस्थल मनाना में पेड़ काटने बाबत मुझे भी कुछ नहीं पता है। बयान लिखवा व सुन लिया है।

RoAC.

मुनिया

[signature]

(SDO (C) Samalkha)

ब्यान दर्ज किया 74 15/05/2025

ब्यान किया कि मैं अरुण जैन ठेकेदार लेबर वर्क का कार्य करता हूँ। मैंने जनवरी माह-2025 में श्री संदीप राठी (पंच पति) तथा 2-3 अन्य पंचों के कहने पर पशु-अस्पताल, मनाना से एक कैंटर (ट्रक) में पेड़ों की जड़ें व ठूँठों को गाँव चौरासी में आहर गाँव की तरफ जोहड़ पर ले गया था। तथा मेरे को मैं कहा गया था कि किसी खाली जगह पर कहीं भी डाल देना। पेड़ किसने कटवाये, इस बारे मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। ब्यान लिखा व पढ़ लिया है।

ROAC
Arun Jain
9812241094

(SDO(C) Jamalpda)

ब्यान 15/5/25

ब्यान किया कि मैं अनिल राठी पुत्र रणजीत सिंह हाल पंच वार्ड नं 14 गांव ममाना का स्थाई निवासी हूं। दिनांक 9/8/24 को पारित प्रस्ताव पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। तथा पशु अस्पताल ममाना के सामुदायिक केन्द्र पर मेरी सहमति है। परन्तु के काटने बाबत मुझे कुछ नहीं पता है। ब्यान लिख व पढ़ लिया है।

RO&AC

Anil Rathi

(SDO (C) Samalkha)

ब्यान 15/5/25

ब्यान किया जाता है कि मैं मंजीता w/o श्री आजाद सिंह हाल पंच वार्ड नं 17 गांव मनाना ब्यान करती हूं कि दिनांक 9/8/24 को ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा मेरी मौजूदगी में किया गया है। बिन्दु नं 9 पर शामिल पशु अस्पताल में सामुदायिक केन्द्र बनवाने बाबत मेरी व पंचायत की सहमति है। पेड़ काटने के बाबत मुझे कुछ नहीं पता है। ब्यान पढ़ व सुन लिये है।

RUAC

Manjeeta

(SDO (C) Samalkha)

बयान 77 दिनांक 15/03/2025

बयान किया कि मैं कविता देवी पत्नी श्री दिनेश गौतम पंच वार्ड न० 06 गाँव मनाना की स्थायी निवासी हूँ।

दिनांक 9/8/2024 को ग्राम पंचायत मनाना द्वारा पारित प्रस्ताव पर मेरे हस्ताक्षर ना है क्योंकि मैं इस प्रस्ताव के दौरान गैर-हाजिर थी। पशु-अस्पताल मनाना में पेड़ काटने बाबत कुछ नहीं पता है। बयान लिखा व पढ़ लिया है।

RoAC कविता देवी

(SDO (C) Samalkha)

Form No. 2

Proceeding Book कारवाई पंचायत मनाना

तिथि	हाजिर पंचों के नाम	कार्य जो किया गया
1	2	3
		आज दिनांक:- 09/08/2024 को ग्राम पंचायत मनाना की बैठक सरपंच श्रीमति रेखा की अध्यक्षता में की गई। जिसमें निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लाई गई।
	प्र.न. 1	यह है कि बैठक में सरपंच महोदया ने बताया कि गांव में पानी हेतु ट्री-गार्डों की रसीद बिल न:- 104 के तहत की गई जिसकी अदायगी की जानी बकाया है इस बारे विचार करें। बाद विचारकर बाकी पंचायत कार्यों ने निर्णय लिया कि उक्त की अदायगी की जानी उचित है। इसकी अदायगी पंचायत फण्ड के खाता न.- 50100088300920 से रु.- 198286/- रु का चैक न:- 000054 इसका उक्त पार्टी Multani Enterprises के नाम RTGS किया जाना है। चैक जारी करने का अधिकार सरपंच को दिया जाता है। अदायगी हेतु नकल प्रस्ताव की प्रति बैंक मैनेजर HDFC बैंक समालखा की सेवा में भेजी जाती है। स्वीकार है।
	प्र.न. 2	यह है कि बैठक में सरपंच महोदया ने बताया कि गांव में पंचायती भूमि में नया ट्यूबवेल लगवाया गया है जिसके लिए बिल न:- 430 के तहत पानी टैंकर व पम्प सेट

सरपंच और पंचो के हस्ताक्षर

Proceeding Book

कारवाई पंचायत

Form No. 2

तिथि	हाजिर पंचों के नाम	कार्य जो किया गया
1	2	3
9/8/24		हेतु मोटर व जनरेटर लिया गया। जिसका भुगतानी की जानी है। इस बारे विचार करी : बाद विचारकर हाजिर पंचायत सदस्यों ने निर्णय लिया कि उक्त की भुगतानी की जाना है। इसकी भुगतानी पंचायत बैंक के खाता नं:- 50100088300920 से मु:- 34220-16 का चेक नं:- 000055 द्वारा उक्त पार्टी ARIHANT TRADING Co. के नाम जारी किया जाना है। चैक जारी करने का अधिकार सरपंच को दिया जाता है। भुगतानी के उक्त प्रस्ताव की प्रति बैंक मैनेजर HDFC साजरवास की सेवा में भेजी जाती है। स्वीकार है।
	प्र:- III	यह है कि बैठक में सरपंच महोदया ने बताया कि गांव में नालियों व गलियों में काफी गन्दगी फैली हुई है जिससे जनवासियों को काफी परेशानी हो रही है जिसमें मजदूरों द्वारा इनकी सफाई कार्य करवाया जाना है। इस बारे विचार करी। बाद विचारकर हाजिर पंचायत सदस्यों ने निर्णय लिया कि उक्त कार्य करवाया जाना जनहित के लिए उचित है। इस पर जो खर्चा होगा वो पंचायत फण्ड से अदा किया जायेगा। कार्य करवाने का

सरपंच और पंचो के हस्ताक्षर

Proceeding Book कारवाई पंचायत

Form No.2

तिथि	हाजिर पंचों के नाम	कार्य जो किया गया
1	2	3
9/8/24		अधिकार सरपंच को दिया जाता है ग्राम पंचायत पास व स्वीकार करती है
	प्र.-IV	यह है कि बैठक में सरपंच महोदया ने बताया कि गांव में करवाये चौपाल के फर्श व प्लास्टिक की कुर्सियों की खरीद की जानी है इस बारे विचार करें बाद विचारस्वरूप हाजिर पंचायत सदस्यों ने निर्णय लिया कि उक्त की खरीद की जानी उचित है व इस पर जो खर्च होगा वो पंचायत फण्ड से अदा किया जायेगा। खरीद का अधिकार सरपंच को दिया जाता है ग्राम पंचायत पास व स्वीकार करती है
	प्र.-V	यह है कि बैठक में सरपंच महोदया ने बताया कि गांव में निम्नलिखित जगहों पर पौधे लगवाए जाने है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है 1. अम्बेडकर भवन के पास। उपरोक्त जगहों पर पौधे व ट्री गार्ड लगवाए जाने है इस बारे विचार करें

सरपंच और पंचो के हस्ताक्षर

Proceeding Book कारवाई पंचायत

Form No. 2

तिथि	हाजिर पंचों के नाम	कार्य जो किया गया
1	2	3
9/6/24		बाद विचारकर हाजरी पन्चायत सदस्यों ने निर्णय लिया कि उक्त कार्य करवाया जाना जनहित के हित प्रस्तावित है। इस पर जो खर्चा होगा वो पन्चायत फण्ड से अदा किया जायेगा। कार्य करवाने का अधिकार सरपन्च को दिया जाता है। ग्राम पन्चायत पास व स्वीकार करती है।
	प्र:- VI	यह है कि बैठक में सरपन्च महोदया ने बताया कि गांव में पानी निकासी हेतु पम्प सैट की खरीद की जानी है। इस बारे विचार करें।
		बाद विचारकर हाजरी पन्चायत सदस्यों ने निर्णय लिया कि उक्त की खरीद की जानी उचित है। इसकी खरीद कुटेशन के आधार पर की जानी है। इस पर जो खर्चा होगा वो पन्चायत फण्ड से अदा किया जायेगा। कुटेशन लेने व खरीद का अधिकार सरपन्च को दिया जाता है। ग्राम पन्चायत पास व स्वीकार करती है।
	प्र:- VII	यह है कि बैठक में सरपन्च महोदया ने बताया कि गांव में पादयान पानी ऑपरेटर हेतु इन्वर्टर की खरीद बिल न:- 16411 के तहत की गई। जिसकी अदायगी की जानी है। इस बारे विचार करें।

सरपंच और पंचो के हस्ताक्षर

Proceeding Book कारवाई पंचायत

तिथि	हाजिर पंचों के नाम	कार्य जो किया गया
1	2	3
9/8/14		बाद विचार-विमर्श ग्राम पंचायत सदस्यों ने निर्णय लिया कि उक्त की अदायगी की जानी उचित है जो इसकी अदायगी पंचायत फण्ड के खाता नं:- 50100088300920 से रु:- 7000/- रु० का, चैक नं:- 000043 द्वारा सम्बं. पार्टी BAJRANG TELECOM के नाम जारी किया जाता है। चैक जारी करने का अधिकार सरपंच को दिया जाता है। उक्त अदायगी हेतु नकल प्रस्ताव की प्रति बैंक मैनेजर HDFC, बैंक जगाधरी की सेवा में भेजी जाती है। स्वीकार है।
	प्र:- VIII	यह है कि बैठक में सरपंच महोदया ने बताया कि गांव में विकास कार्य करवाए जाने है, जिनका विवरण निम्नप्रकार से है:-
		1. सुभाष S/o रणधीर के मकान से सोनू पुत्र नरपाल के मकान तक गली रिपेयर।
		2. कृष्णो S/o पुर्णो के मकान वाली गली रिपेयर
		3. स्वागत गेट से बैंक तक फिरनी रिपेयर।
		4. स्वागत गेट से पाइपान पाना चौपाल तक फिरनी रिपेयर।
		5. स्वागत गेट से SM Modern स्कूल तक गली रिपेयर।
		6. आजाद S/o धर्मसिंह के मकान से [illegible]

सरपंच और पंचो के हस्ताक्षर

Proceeding Book कारवाई पंचायत Form No. 2

तिथि	हाजिर पंचों के नाम	कार्य जो किया गया
1	2	
9/8/24		फौजी के मकान तक गली निर्माण।
		7. सत्यनारायण गाड़ित S/o ... से बाईपास रोड तक गली।
		8. जगदीश S/o हरिसिंह के घर से श्मशान चौपाल तक गली।
		9. पशु अस्पताल में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण
		उपरोक्त कार्य करवाए जाने की बाबत विचार करें।
		बाद विचारकर ग्राम पंचायत द्वारा ने निर्णय लिया कि उक्त कार्य करवाए जाने उचित है व इन कार्यों का प्राक्कलन तैयार करवाए जाने व इस पर जो खर्चा होगा वो पंचायत फण्ड से अदा किया जायेगा। प्राक्कलन तैयार करवाने हेतु नकल प्रस्ताव की प्रति B.D.O. रामगढ़ को J.En. (PR) रामगढ़ की सेवा में भेजी जाती है व स्वीकार है।
	प्र.नं.	यह है कि बैठक में सचिव महोदय ने बताया कि गांव में ग्राम स्थापना के प्रस्ताव नं:- 07 दिनांक:- 06/08/24 के तहत निकास कार्यों के प्राक्कलन तैयार करवाए गए है जिनका विवरण निम्नप्रकार से है :-

...व और पंचो के हस्ताक्षर

VEER

Proceeding Book

ग्राम पंचायत [illegible] Form No. 8

तिथि	हाजिर पंचों के नाम	कार्य जो किया गया
1	2	3
7.08.24		कार्यवाही का आरम्भ सरपंच की अनुमति से हुई। ग्राम पंचायत पास व स्वीकार करती है।
	प्र. न. XII	नोट है कि सरपंच महोदया के समाना कि गांव की SC चौपाल में विधानसभा चुनाव हेतु पोलिंग बूथ बना हुआ है और उस चौपाल में बिजली कनेक्शन नहीं है। इस चौपाल में 1 KW का बिजली कनेक्शन किया जाना है जिससे चुनाव में कोई बिजली समस्या न हो। इस बारे विचार करने बाद विचारोपरांत ग्राम पंचायत सदस्यों ने निर्णय लिया कि उक्त कार्य करवाना अति आवश्यक है। इस पर जो खर्चा होगा वो पंचायत फंड से अदा किया जाएगा। कनेक्शन हेतु को आफिस सरपंच को दिया जाता है व नकल प्रस्ताव की जाती B.D.P.O समालखा, SDO UHBVN समालखा की सेवा में भेजी जाती है। ग्राम पंचायत पास व स्वीकार करती है।

सरपंच [signature]
ग्राम पंचायत, मनाणा
खण्ड समालखा (पानीपत)

Rajbir Singh, Sonia, Babli, Seema Devi, Sobed, Nisha, Manjeeta, Anil

सरपंच और पंचो के हस्ताक्षर Rani Devi, Parveen Kumar, Rajesh Kumar

VEER

(131)

Proceeding Book कारवाई पंचायत Form No. 2

तिथि	हाजिर पंचों के नाम	कार्य जो किया गया
1	2	3
9/8/24	प्र.सं. X	यह है कि बैठक में सरपंच महोदया ने बताया कि गांव में स्टेडियम में काफी घनाड़ियां व घास उगी हुई थी जिसके लिए स्टेडियम में राउंड अप करवाया जाना है। इस ओर विचार करें।
		सर्व. विचारोपरांत हाजिर पंचायत सदस्यों ने निर्णय लिया कि उक्त कार्य करवाया जाना उचित है और इस पर जो खर्चा होगा वो पंचायत फंड से अदा किया जायेगा। कार्य करवाने को आशीर्वाद सरपंच को किया जाता है और ग्राम पंचायत पास व स्वीकार करती है।
	प्र.सं. XI	यह है कि बैठक में सरपंच महोदया ने बताया कि गांव में जोगी श्मशान घाट में काफी कांग्रेस घास व खरपतवार उगा हुआ है जिससे ग्रामवासियों को वहां जाने में काफी परेशानी होती है इस ओर विचार करें।
		सर्व. विचारोपरांत हाजिर पंचायत सदस्यों ने निर्णय लिया कि इसकी सफाई करवाई जानी उचित है। इसकी सफाई ट्रैक्टर द्वारा करवाई जानी है और इस पर जो खर्चा होगा वो पंचायत फंड से अदा किया जायेगा।

सरपंच और पंचो के हस्ताक्षर

UEER

नक़ल जमाबंदी (ऑनलाइन जमाबंदी)

गाँव : Manana   तहसील : समालखा   जिला : पानीपत   साल : 2019-2020   Type : Online Jamabandi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
खेवट या जमाबंदी न.	खतौनी न.	नाम तरफ या पत्ती	विवरण सहित मालिक नाम	विवरण सहित काश्तकार	कुंए या सिंचाइ के अन्य साधन का नाम	नम्बर खसरा या मुरब्बे और किले का नम्बर	रकबा और किस्म जमीन	दर और संख्या के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है	हिस्सा या हकीयत का पैमाना और बाछ का ढंग	अभियुक्ति
1650 // 1520	1993		पशुपालन विभाग(हरियाणा) वासीदेह	मकबूजा मालक		221	4-9 गै. मु. पशु हस्पताल		कब्ज़ा	

यह एक गैर-प्रमाणित दस्तावेज है, जोकि संबंधित पटवारी अथवा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। इसका उद्देश्य केवल सूचनार्थ है व यह किसी भी कानूनी/न्यायिक/आधिकारिक प्रयोग के लिए मान्य नही है।